

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में दायर अपील संख्या 2674/2018 सुषमारानी बनाम राज्य सरकार में माननीय अपील अधिकरण-जयपुर के आदेश दिनांक 23.08.2018 के द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 02.06.2018 एवं 06.06.2018 का क्रियान्वयन, अपीलार्थी (सुषमा रानी, व्याख्याता अंग्रेजी) के संबंध में अधिकरण के अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाने के कारण अपील में दिये जाने वाले आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्याधीन सुषमा रानी व्याख्याता अंग्रेजी राउमावि खातीपुरा, जयपुर में कार्यरत एवं कमलेश वर्मा व्याख्याता अंग्रेजी आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में रहेंगे।

संबंधित संस्था प्रधान इनके कार्यग्रहण एवं कार्यमुक्ति की कार्यवाही शालादर्पण के माध्यम से ही सम्पादित करें।




(नथमल डिडेल)

आईएसएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/स्थानान्तरण/अंग्रेजी-संस्कृत/2018 दिनांक: 10-09-2018
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, माध्यमिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ), जयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक विधि) जयपुर
3. अति० जि.शि.अ. (माध्यमिक विधि) जयपुर
4. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जयपुर
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II), जयपुर को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आदेश के क्रियान्वयन की कार्यवाही करवाकर अवगत करावें।
6. संबंधित प्रधानाचार्य,
7. संबंधित कार्मिक,
8. अनुभाग अधिकारी विधि कार्यालय हाजा को अपील की प्रतिलिपि संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान शिक्षा सेवा के श्री कानाराम, व्याख्याता स्कूल शिक्षा संस्कृत राउमावि हरियाली-जालौर का प्रशासनिक कारणों एवं राज्यहित में स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से राउमावि रामपुरा, (सिरोही) में व्याख्याता संस्कृत के रिक्त पद पर किया जाता है।

इन्हें नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 14-09-2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। श्री कानाराम को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि इनकी कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर दर्ज करावे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करावे।




(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/स्थानान्तरण/2018 दिनांक : 10-09-2018
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, पाली
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जालौर/सिरोही
3. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि हरियाली-जालौर/रामपुरा-सिरोही
4. संबंधित कार्मिक श्री कानाराम व्या0 संस्कृत
5. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) अंग्रेजी के निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं-

क्रम	नाम कार्मिक	विषय	कहां से (राउमावि/राबाउमावि)	जिला	कहां को (राउमावि/राबाउमावि)	जिला
1	चुतराराम चौधरी	English	राउमावि जीवाणा, जालोर	Jalor	राउमावि मजल, समदड़ी, बाड़मेर	Barmer

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 28.09.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। इन्हें योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। जिन कार्मिकों का परीवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। RVRES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय को सूचित किया जावे। यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण विधवा/दिव्यांग कार्मिक के विरुद्ध हो गया है तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे अन्यथा प्रभारी संस्था प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित उप निदेशक कार्यालय में आदेशों की प्रतिका में कार्यमुक्त करें। साथ ही निर्वाचन विभाग की अ0शा0टी0 क्रमांक एफ 1(21)III/बी/निर्वा /2018/4306 दिनांक 09.08.2018 के अनुसार उक्त कार्मिक यदि चुनाव कार्यों के लिए पदाभिहित हो तो इन्हें दिनांक 27.09.2018 के पश्चात ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे। सम्बन्धित कार्मिकों की कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यकरूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/स्थानान्तरण/अंग्रेजी/2018 दिनांक- 12-09-18

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प 7(1)शिक्षा-2/बाड़मेर-स्थानान्तरण/2018 दिनांक 29.08.2018 के क्रम में।
- 3 सम्बन्धित उप निदेशक, माध्यमिक.
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक.
- 5 सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावे।
- 6 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु
- 7 सम्बन्धित कार्मिक/रक्षित



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर